

अनुदान संख्या 82 – ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 82 - DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	183393,17,00	189477,35,00	184828,34,62	-4649,00,38
पूरक	Supplementary	6084,18,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				500,30,21
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	5,25,00	5,26,00	9,48	-5,16,52
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				25,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹464900.38 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹608418.00 लाख के पूरक अनुदान का 76 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹464900.38 lakhs) constituted 76 percent of the supplementary grants of ₹608418.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major head "2216"			
आवास	Housing			
मू.	O.	163500.00		
			66533.36	
पु.	R.	-96966.64		
			66533.35	-0.01
मुख्य शीर्ष "2235"	Major head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	3260.00		
			1015.98	
पु.	R.	-2244.02		
			1015.97	-0.01
मुख्य शीर्ष "2501"	Major head "2501"			
विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development			
मू.	O.	133900.00		
पू.	S.	1.00	132042.89	
पु.	R.	-1858.11		
			132040.61	-2.28
मुख्य शीर्ष "2505"	Major head "2505"			
ग्रामीण विकास	Rural Employment			
मू.	O.	9380029.00		
पू.	S.	365307.00	10528813.41	
पु.	R.	783477.41		
			10601912.63	+73099.22

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"			
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes			
मू.	O.	55960.00		
पू.	S.	2.00	67926.65	66868.56
पु.	R.	11964.65		-1058.09
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	548128.00		
पू.	S.	1.00	1.00	..
पु.	R.	-548128.00		-1.00
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"			
सड़कें और सेतु	Roads and Bridges			
मू.	O.	1604251.00		
पु.	R.	-1966.69	1602284.31	1115393.16
				-486891.15
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	6433392.00		
पू.	S.	243011.00	6486843.01	6486842.02
पु.	R.	-189559.99		-0.99
मुख्य शीर्ष "3602"	Major head "3602"			
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	12440.00		
पू.	S.	94.00	7741.02	7740.02
पु.	R.	-4792.98		-1.00

(I) ₹592537.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹591529.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना-ब्याज सहायिकी" – ₹38400.00 लाख – राष्ट्रीय आवास बैंकों से ग्रामीण आवास के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली" – ₹5000.00 लाख – प्रस्तावित कार्यकलापों के शुरु न होने और राज्य सरकारों के सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – प्रशिक्षण-राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹700.00 लाख;

(ख) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – अन्य व्यय" –

(i) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण" – ₹1000.00 लाख;

(ii) "रूरबन मिशन" – ₹9178.00 लाख;

(ग) "स्वरोजगार कार्यक्रम-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹31751.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(I) Provision of ₹592537.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under nineteen heads; of these ₹591529.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2216" – "Rural Housing – Indira Awaas Yojana – Interest Subsidy" - ₹38400.00 lakhs - due to non-receipt of proposals towards rural housing from National Housing Banks.

(B) Major Head "2505" – "Rural Employment Guarantee Scheme – National Rural Employment Guarantee Scheme – Social Audit and Grievance Redressal System" – ₹5000.00 lakhs – due to non-initiation of proposed activities and non-receipt of proposals from Social Audit Cells of State Governments.

(C) Major Head "2552"-

(a) "Other Rural Development Programmes – Training – Grants to National Institute of Rural Development" – ₹700.00 lakhs;

(b) "Other Rural Development Programmes – Other Expenditure" –

(i) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process" - ₹1000.00 lakhs;

(ii) "RURBAN Mission"- ₹9178.00 lakhs;

(c) "Self Employment Programme – National Rural Livelihood Mission – Aajeevika – National Rural Livelihood Mission" – ₹31751.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

- (घ) “जिला और अन्य सड़कें—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – कार्यक्रम संघटक” – ₹170000.00 लाख;
- (द) “District and Other Roads – Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Programme Component” - ₹170000.00 lakhs;
- (ङ) “समाज कल्याण – वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम” – ₹99750.00 लाख;
- (e) “Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme” - ₹99750.00 lakhs;
- (च) “ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना—इंदिरा आवास योजना” – ₹88198.00 लाख;
- (f) “Rural Housing – Indira AwaasYojana - Indira AwaasYojana” - ₹88198.00 lakhs;
- (छ) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” –
- (g) “Special Component Plan for Scheduled Castes”–
- (i) “इंदिरा आवास योजना” – ₹69427.00 लाख;
- (i) “Indira AwaasYojana” - ₹69427.00 lakhs;
- (ii) “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹14935.00 लाख;
- (ii) “National Rural Livelihood Mission” - ₹14935.00 lakhs;
- (ज) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –
- (h) “Tribal Area Sub-Plan”-
- (i) “इंदिरा आवास योजना” – ₹52375.00 लाख; और
- (i) “Indira AwaasYojana” - ₹52375.00 lakhs; and
- (ii) “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹10815.00 लाख।
- (ii) “National Rural Livelihood Mission” - ₹10815.00 lakhs.

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above eleven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” – ₹1619471.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹243010.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1862481.00 लाख किया गया जो, तथापि, राज्य

(II) Under Major Head “3601” – “Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/ Share – Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme” - the original provision of ₹1619471.00 lakhs was augmented to ₹1862481.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹243010.00 lakhs which, however, remained

सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹100000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2216” – “ग्रामीण आवासन” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:-

(का) “इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना – कार्यक्रम संघटक” – ₹53662.65 लाख की बचत (₹119298.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, बैठकों के लिए, वकीलों को भाड़े पर लिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, राजगीरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/नमूना आवासीय यूनिटों के निर्माण को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – इंदिरा आवास योजना” – ₹4614.00 लाख की बचत (₹5501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण – वृद्ध, अशक्त और निराश्रित कल्याण – राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम” के अंतर्गत – ₹2244.03 लाख की बचत (₹3260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(V) मुख्य शीर्ष “2501” – “स्वरोजगार कार्यक्रम” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:-

(का) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹2256.58 लाख की बचत (₹4234.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹1634.07 लाख की बचत (₹3066.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

unutilised to the extent of ₹100000.00 lakhs – due to receipt of less proposals from State Governments.

(III) Under Major Head “2216”- “Rural Housing” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Indira Awaas Yojana – Indira Awaas Yojana – Programme Component” – saving of ₹53662.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹119298.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State/Union Territories, requirement of less funds towards meetings, hiring of legal counsels and non-materialisation of training programme for masons/ construction of demonstration housing units.

(B) “Tribal Area Sub-Plan – Indira Awaas Yojana” – saving of ₹4614.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5501.00 lakhs);

(IV) Under Major Head “2235” – “Social Welfare – Welfare of aged, infirm and destitute – National Social Assistance Programme” – saving of ₹2244.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3260.00 lakhs);

(V) Under Major Head “2501” – “Self Employment Programme” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Aajeevika – National Rural Livelihood Mission” – saving of ₹2256.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4234.00 lakhs); and

(B) “Tribal Area Sub-Plan - Aajeevika – National Rural Livelihood Mission” – saving of ₹1634.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3066.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(गा) “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – प्रबंधन सहायता” – ₹985.39 लाख की बचत (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित किए जाने और कार्यालय स्थानान्तरित किए जाने के कारण किराए के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष “2505” – “ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “सूचना, शिक्षा और संचार” – ₹1104.60 लाख की बचत (₹6001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और मीडिया प्रचार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(खा) “क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता” – ₹37793.30 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने तथा अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्राधिकार से कम निधियां इस्तेमाल किए जाने के कारण हुईं।

(VII) मुख्य शीर्ष “2515” – के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं :-

(का) “लोक सहयोग – लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद को अनुदान” – ₹766.00 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(खा) “अन्य व्यय” –

Savings under the above four heads were due to receipt of less proposals from State/Union Territory Governments.

(C) “National Rural Livelihood Mission - Management Support” – saving of ₹985.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs) was due to conduction of less workshops/conferences, requirement of less funds towards rent due to shifting of office and non- receipt of utilization certificates.

(VI) Under Major Head “2505” – “Rural Employment Guarantee Scheme – National Rural Employment Guarantee Scheme” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Information, Education and Communication” – saving of ₹1104.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6001.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments and non-finalization of media campaign.

(B) “Capacity Building and Technical Support” – saving of ₹37793.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies and utilization of less funds by Department of Space against authorization.

(VII) Under Major Head “2515” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Public Cooperation – Grant to Council for Advancement of People's Action and Rural Technology” – saving of ₹766.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from State Governments.

(B) “Other Expenditure” –

(क) “ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता तथा जिला आयोजन प्रक्रिया का सुदृढीकरण” – ₹5471.71 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹24256.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली नगर निगम के साथ पट्टा करार को अंतिम रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “रूरबन मिशन” – ₹13200.15 लाख की बचत (₹14750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष “3054” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:-

(का) “जिला और अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को सहायता” – ₹1528.25 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय एकीकृत ग्रामीण विकास एजेंसी से कम मांग प्राप्त होने तथा अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्राधिकार से कम निधियों का इस्तेमाल किए जाने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य – आरक्षित निधि को अंतरण – केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण” – ₹486550.00 लाख की बचत (₹1599450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाई स्पीड डीजल पर उपकर के कम संग्रहण होने की वजह से निधियों का कम अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई :-

(a) “Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process”- saving of ₹5471.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹24256.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-finalisation of lease agreement with New Delhi Municipal Corporation, less tours, delay in submission of utilization certificates by State/Union Territory Governments and receipt of less proposals from implementing agencies.

(b) “RURBAN Mission” - saving of ₹13200.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14750.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(VIII) Under Major Head “3054” – savings occurred under the following heads:-

(A) “District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to National Rural Roads Development Agency” - saving of ₹1528.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to receipt of less demand from National Integrated Rural Development Agency and utilization of less funds by Department of Space against authorization.

(B) “General – Transfer to Reserve Fund – Transfer to Central Roads Fund” – saving of ₹486550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1599450.00 lakhs) was due to less transfer of funds owing to less collection of cess on High Speed Diesel.

(IX) Under Major Head “3601” – “Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share” – savings occurred under the following heads:-

(का) “राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम” – ₹53540.25 लाख की बचत (₹887996.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन” – ₹50900.00 लाख की बचत (₹91676.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना” – ₹185777.92 लाख की बचत (₹1424699.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(X) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं :-

(का) “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” – ₹522.71 लाख की बचत (₹93.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹593.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन” – ₹3461.00 लाख की बचत (₹4396.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(XI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1045.94 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹922709.43 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹6083.21 लाख

(A) “National Social Assistance Programme” - saving of ₹53540.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹887996.00 lakhs);

(B) “Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission” – saving of ₹50900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹91676.00 lakhs); and

(C) “Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana” – saving of ₹185777.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1424699.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from State Governments.

(X) Under Major Head “3602” – “Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme” – saving of ₹522.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹593.00 lakhs including supplementary grant of ₹93.00 lakhs); and

(B) “Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission” – saving of ₹3461.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4396.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from Union Territory Governments.

(XI) Under three heads savings of ₹1045.94 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding 500.00 lakhs and constituting 49 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹922709.43 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament

का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2501” – “स्वरोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – आजीविका – कार्यक्रम संघटक” – ₹3016.48 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3015.65 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2505” – “ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” –

(क) “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना”

(i) “जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम को सहायता” – ₹559328.56 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹559329.56 लाख था।

(ii) “मजदूरी वितरण के लिए सेवा प्रभार” – ₹24433.45 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹24432.45 लाख था।

(ख) “आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण” – ₹243103.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹317649.70 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष “2515” – “अन्य व्यय – बीपीएल सर्वे” – ₹29930.93 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹29929.93 लाख था।

(ग) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें”

(क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹30524.64 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹30523.64 लाख था।

while obtaining supplementary grants of 6083.21 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2501” - “Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission - Aajeevika – Programme Component” - ₹3016.48 lakhs. Actual excess, however, was ₹3015.65 lakhs.

(B) Major Head “2505” – “Rural Employment Guarantee Scheme” –

(a) “National Rural Employment Guarantee Scheme” –

(i) “Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme” – ₹559328.56 lakhs. Actual excess, however, was ₹559329.56 lakhs.

(ii) “Service Charges for wage disbursement” – ₹24433.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹24432.45 lakhs.

(b) “Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Employment Guarantee Fund” – ₹243103.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹317649.70 lakhs.

(C) Major Head “2515” - “Other Expenditure - BPL Survey” – ₹29930.93 lakhs. Actual excess, however, was ₹29929.93 lakhs.

(D) Major Head “3601” – “Centrally Sponsored Schemes” –

(a) “Central Assistance/Share - National Rural Livelihood Mission” - ₹30524.64 lakhs. Actual excess, however, was ₹30523.64 lakhs.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹19262.86 लाख।

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹13109.51 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” – ₹104566.78 लाख का अधिक व्यय (₹725101.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” – ₹13294.78 लाख का अधिक व्यय (₹572799.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” – ₹19899.62 लाख का अधिक व्यय (₹428600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों से अतिरिक्त मांग की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Rural Livelihood Mission” - ₹19262.86 lakhs.

(c) “Tribal Area Sub-Plan - National Rural Livelihood Mission” - ₹13109.51 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” – “Centrally Sponsored Schemes” – under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural” - excess of ₹104566.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹725101.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural” - excess of ₹13294.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹572799.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural” - excess of ₹19899.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹428600.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of additional demand from State Governments.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “4059”	Major Head “4059”			
लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	525.00		
पू.	S.	1.00	501.00	9.48
पु.	R.	-25.00		-491.52

(I) “कार्यालय भवन – निर्माण – ग्रामीण विकास भवन” के अंतर्गत – ₹516.52 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹526.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास भवन के निर्माण में विलंब के कारण हुई।

(I) Under “Office Buildings – Construction – Grameen Vikas Bhawan” – saving of ₹516.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹526.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018) was due to delay in construction of Grameen Vikas Bhawan by Central Public Works Department.

4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि:—

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में अनुदानों या कर्जों के माध्यम से ऐसी धनराशि, जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे, संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोग करके, जमा की जाती है।

4. National Rural Employment Guarantee Fund:-

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

वर्ष 2018-19 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:—

The Accounts of the Fund for 2018-19 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-1
प्राप्तियां	Receipts	61829,55,70
अदायगियां	Payments	61829,55,69
अंतशेष	Closing Balance	..
